1. Tenders & registration of contractors

मध्यप्रदेश
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमाक एफ.16–7–99–34, भोपाल ,दिनांक 20अक्तुबर 99
प्रती ,

1. समस्त विभागाध्यक्ष.
2. समस्त संभागीय आयुक्त.
3. समस्त मुख्य अभियंता/कार्यालय यंत्री,
4. समस्त कलेक्टर.

विषय :– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत नलकुप खनन तथा हैण्डपप स्थापना के कार्यो हेतु ठेकेदारों के पजीयन संबंधी अधिकारों में प्रत्यायोजना बाबत्.

जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागके अन्तर्गत अधिकारों के प्रत्यायोजना बाबत् समसंख्यक आर्देश दिनांक16 अप्रैल 1999के तारतम्य में पेयजल व्यवस्था के लिये नलकुप खनन एवं हैण्डपंप स्थापना के कार्यो हेतु ठेकेदारों पंजीकरण के अधिकार संलग्न प्रपत्र निम्न शर्तो पर अंतरित किये जाते हैः–

1. टेकेदारों के पास स्वयं की द्रुतगति या धीमीगति की खनन मशीन होना आवश्यक है. इस शर्त के आधर पर ही नलकुप खनन का पंजीकरन निधारीत श्रेणी में किया जावेगा
   इस हेतु पंजीकरण के पुर्व सत्यापन कार्यपालन यंत्री द्वारा कर लेना आवश्यक होगा.
2. पंजीकरण हेतु निधारित अमानत राशि,सालव्हेन्सी तथा पंजीकरण शुल्क जमा कराना आवश्यक होगा.

यह आदेश तत्कांल प्रभावशील होंगे .

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./–
(राकेश साहानी)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ,

पृ.क्र.एफ.16–7–99–2–34, भोपाल,दिनांक
20अक्टूबर1999
प्रतिलिपिः

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन ,मंत्रालय,भोपाल.
2. .समस्त निज सचिव,माननिय मंत्री,राज्यमंत्री ,मध्यप्रदेश भोपाल.

को सूचनार्थ पेषित.

हस्ता./–
प्रमुख सचिव ,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग.
मध्यप्रदेश शासन

ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु जिलास्तर पर अन्तरण हेतु अधिकारों का प्रपत्र

ठेकेदारों के पंजीकरण बबात जिला अधिकारियों को वर्तमान में प्रदत्त अधिकार						ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु अतिरिक्त रूप से अंतिरित अधिकार					
पंजीकरण की श्रेणी ा	न्यूनतम अमानत राशि एंव आवश्यक सालव्हेन्सी(रू.लाखमे)	कार्यलागत सीमा जिस तक काय हेतु सक्षम तथा कार्य का प्रकार (रू.लाख में)	पंजीकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पंजीकरण शुल्क रूपये	पंजीकरण की श्रेणी	न्यूनतम अमानत राशि एंव आवश्यक सालव्हेन्सी (रू.लाख में)	कार्यलागत सीमा जिस तक कार्य करने हेतु सक्षम तथा कार्य का प्रकार (रू.लाख में)	पंजीकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पंजीकरण शुल्क रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बी.	—	—	—	—	—	बी	0.04 0.50	4.00 सामान्य कार्य तथा नलकूप खनन कार्य	कार्यपालन यंत्री	संबंधित	1000.00
सी	0.02 0.20	2..00 सामान्य कार्य	कार्यपालन यंत्री	संबंधित खण्ड कार्यालय का कार्यक्षेत्र	500/—	सी	0.02 0.20	2.00 सामान्य कार्य तथा नलकूप खनन कार्य	कार्यपालन यंत्री	संबंधित जिला सीमा	500.00
डी	0.02 0.045	0.20 सामान्य काय	कार्यपालन यंत्री	संबंधित खण्ड कार्यालय का कार्यक्षेत्र	250/—	डी	0.002 0.045	2.00 सामान्य कार्य तथा नलकूप खनन कार्य	कार्यपालन यंत्री	संबंधित जिला सीमा	250..00